लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
033/2022 (GCMS 2022/185)	24.06.2022	13.07.2022

अनवान

भवानी प्रताप सिंह झाला c/o श्री कृष्णा स्टील रेलिंग, मेनारिया गेस्ट हाउस के पीछे, हरिओम भोजनालय के पास, पानेरियों की मादडी, उदयपुर

अपीलांट

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./033/2022(सू.अ.)(13.07.2022)/528 दिनांक 24.06.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.07.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 13.07.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई./2022/373 दिनांक 04.07.2022 से कमेंण्ट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं–

1. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 12.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से सूचना के अधिकार तहत सूचना मांगी गई थी। सूचना के तहत् मिसल नंबर 6/75 के आदेश मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई।
2. कार्यालय रिकार्ड रूम में तलाशी के उपरांत भी उक्त पत्रावली नहीं मिल पा रही थी इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति में ग्राम पंचायत खेदमालिया का उल्लेख था जो वर्तमान में उपखण्ड छोटी सादड़ी में आता है, अतः उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी से पत्राचार किया परन्तु वहां पर भी पत्रावली नहीं मिल पाई।
3. दोबारा रिकार्ड रूम व जमा रजिस्टर की तलाशी ली परन्तु उक्त पत्रावली नहीं मिली।
4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 3 के अधीन बीस वर्ष से अधिक पुराने रिकार्ड की सूचना के प्रकट किए जाने से छुट प्रदत्त करती हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं हैं। अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमाने का कष्ट करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आर.टी.आई./2022/373 दिनांक 04.07.2022 से प्रेषित कमेंण्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक अप्राप्त हैं। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित पत्रावली अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में तलाश करने पर भी नहीं मिल पा रही हैं। जिससे सूचना तैयार नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 3 का हवाला देते हुए 20 वर्ष से पुराने रिकार्ड की सूचना के प्रकट में छूट के प्रावधान का उल्लेख किया हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 3 में प्रावधित किया गया है कि–

8.(3). Subject to the provisions of clauses (a), (c), and (i) of subsection (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की धारा 8 (3) के तहत सूचना के प्रकट किये जाने से छूट योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना पुनः कार्यालय में तलाश कर नियमानुसार तैयार कर 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **13.07.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
13.07.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official